


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

टाईगर होम फाईनेन्स प्रा. लि. बनाम रामजीलाल

केस संख्या 149/2024 (धारा 14 सिवयोरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा का कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
23-08-2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इसके समर्थन में प्रस्तुत टाईटल डीड में सम्पत्ति मालिक के नाम में भिन्नता है। अतः धारा 14 सरफेशी एक्ट का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था बाद पूर्ती नये सिरे से पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)</p>	